# प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट
# “Refresher Course for Police Inspectors”
## दिनांक 17-08-2020 से 21-08-2020
## राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17-08-2020 से 21-08-2020 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 13 पुलिस निरीक्षकगण ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस 10:00-10:30 AM तक परिचय और पंजीकरण, प्रथम सत्र में डॉ. एम.के. देवराजन ने अभिरक्षा में हिंसा के संबंध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सुपरवाइजरी नोट, एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री अमरजीत मस्ताना, एडवोकट, जयपुर द्वारा अदालत में सबूत देने की कला पर चर्चा की। अन्तिम सत्र में डॉ0 सुमन राव, पी.ओ. आरपीए ने घरेलु हिंसा अधिनियम, कार्य रूथल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, पोक्सो अधिनियम, 2015, 166ए आईपीसी, पीडित प्रतिकर पर चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में श्री कैलाश चन्द्र जाट, डीआईजी, आरपीए ने रिपोर्ट लेखन, संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग, पावरपॉइंट प्रस्तुति एवं तनाव प्रबंधन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री आरएस बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के भूमि और राजस्व विवादों से संबंधित अपराधों की जांच के बारे में बताया। अन्तिम सत्र में डॉ. राजेश चौधरी, सहायक निदेशक, डीएनए डिवीजन, एफएसएल, जयपुर ने अन्वेषण में डीएनए की भूमिका और प्रदर्श को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित करने के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस के प्रथम सत्र में श्री आनन्द वर्धन शुक्ला, आई.जी.पी. (सेवानिवृत) ने तनाव प्रबंधन, प्रेरणा और कैसे टीम को एक साथ रखना है पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक, सीसीआईसीयू, एसओजी, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य, फाईलें, हैश वैल्यू फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईपी एड्रस, ईमेल एनालिसिस, एफबी पर ब्लॉकिंग, सर्विस प्रोवाइडर, राइट ब्लॉकर्स एवं फेसबुक मामलों की जांच, फर्जी वेबसाइट और संदिग्ध ईमेल विश्लेषण, राइट ऑफ ब्लॉकर किट का उपयोग आदि के बारे में बताया। अन्तिम सत्र में श्री दिनेश असनानी, पुलिस निरीक्षक, एससीआरबी, जयपुर ने सीसीटीएनएस और आईसीजेएस पर अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में श्री निक्षित दीक्षित, एडोवोकेट, जयपुर ने सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000/2008 सहित साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान के बारे में अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री एस.एस. बिस्सा आईएएस (सेवानिवृत) द्वारा ऑन लाइन क्लास में नैतिकता, गर्व और उत्कृष्टता - संघर्षों का समाधान संबंधी विषय पर अपना व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री चर्तुभुज शर्मा, एडीपी, आरपीए ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अनिवार्य प्रावधानों और अन्वेषण में क्या करें और क्या न करें को विस्तृत रूप से समझाया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिवस प्रथम सत्र में श्री चर्तुभुज शर्मा, एडीपी, आरपीए ने साक्ष्य सग्रह करने और कैस स्टडी के बारे में विस्तार से बताया। अन्तिम सत्र में श्री सुरेश कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, आरपीए ने पम्प एक्शन गन, चिली पाउडर का उपयोग, कानून व्यवस्था की स्थितियों में हेलमेट का उपयोग एवं हेलमेट कैमरे का डेमों विषय पर चर्चा की। अंत में सहायक कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 21.08.2020 को कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 01 में आयोजित किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रजेन्टेशन दिया गया। श्री वी. के. सिंह, महानिरीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (सी.बी.), राजस्थान, जयपुर के उद्धबोधन के पश्चात प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय,

(रेवन्त दान)
सहायक निदेशक (इण्डोर)
कोर्स डायरेक्टर
आरपीए,जयपुर